भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 42

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 फरवरी, 2026/14 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है)

देश में रिटेल एफएंडओ भागीदारी

42. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या वित्त **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष में खुदरा फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफएंडओ) भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) खुदरा निवेशकों द्वरा एफएंडओ में गंवाई गई धनराशि, निवेशक प्रोफाइलों, शहरों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ट्रेडिंग प्लेटफॉम्र्स के "गेमिफिकेशन" का संज्ञान लिया है, जहा जटिल एफएंडओ उत्पादों को युवाओं को वीडियों गेम्स की भांति बेचा जाता हैं;

(घ) क्या सरकार ट्रेडिंग एप्स के लॉगिन स्क्रीन्स पर यह "वित्तीय स्वास्थ्य चेतावनी" अनिवार्य करने की योजना बना रही है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाए कि इसमें "90 प्रतिशत ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं;" और

(ङ) क्या एफएंडओ सेगमेंट सक्रिय करने के लिए न्यूतम आय/कुल संपत्ति संबंधी मानदंडों को बढ़ाने,कर हानि और लाभ उठाए जाने (लीवरेज) को कम करने की योजना है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

उत्तर (क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

देश में रिटेल एफएण्डओ भागीदारी के संबंध में श्री कार्तिकेय शर्मा, माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाए गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 42 से संदर्भित विवरण जिसका उत्तर दिनांक 03 फरवरी 2026 को दिया जाना है।

(क) इक्विटी डेरिवेटिव्स (एफ एंड ओ) सेगमेंट में व्यवसाय करने वाले अद्वितीय व्यक्तिगत निवेशकों की संख्या वित्त वर्ष 2025 में 1,05,98,254 और वित्त वर्ष 2026 में (30 दिसंबर, 2025 तक) 75,42,714 थी।

(ख) सेबी द्वारा किए गए "इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट अर्थात नकद बाजार में वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन" नामक विश्लेषण के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में व्यक्तिगत निवेशकों को ₹1,05,603 करोड़ का निवल घाटा हुआ। इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में हुए घाटे के आंकड़े शहर-वार और निवेशक प्रोफाइल के अनुसार सेबी के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सेबी ने 24 मई, 2024 के परिपत्र के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल ट्रेडिंग सेवाओं और फैंटेसी गेम्स के साथ वास्तविक समय (रियल टाइम) के बाजार डेटा को साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। सेबी ने 4 नवंबर, 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निवेशकों को प्रतिभूति बाजार से संबंधित योजनाओं के प्रति आगाह किया और अपंजीकृत प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन के माध्यम से व्यापार न करने की सलाह दी।

(घ) सेबी ने स्टॉक ब्रोकरों को निर्देश दिया है कि वे लॉगिन करने पर डेरिवेटिव ग्राहकों को निर्धारित जोखिम संबंधी खुलासे प्रदर्शित करें, जो स्क्रीन के कम से कम 50 प्रतिशत हिस्से को कवर करें और एफएंडओ ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान की घटनाओं पर डेटा प्रदान करें, जिसे ग्राहकों को ट्रेडिंग शुरू करने से पहले स्वीकार करना होगा।

(ङ) नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, सेबी ने बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपायों की शुरूआत की है जैसेकि साप्ताहिक डेरिवेटिव्स का युक्तिकरण, अनुबंध के आकार में वृद्धि, उच्च मार्जिन आवश्यकताएं, ऑप्शन प्रीमियम का अग्रिम संग्रह, समाप्ति तिथि पर कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को समाप्त करना और पोजीशन लिमिट की इंट्राडे निगरानी आदि।

**अद्वितीय व्यक्तिगत निवेशक में सक्रिय खातों में मौजूद अद्वितीय पैन (व्यक्ति, एकल स्वामित्व, अनिवासी भारतीय और अविभाजित हिन्दु परिवार - संस्थानों को छोड़कर सभी) शामिल हैं, जिनमें शून्य से अधिक होल्डिंग है।*
